

राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:प.2(7)आयो/ग्रुप-2/2011


जयपुर, दिनांक: 03.03.2022

आज्ञा

आयोजना विभाग की आज्ञा क्रमांक: प.2(7)आयो/ग्रुप-2/2011 दिनांक 10.02.2022 द्वारा गैर सरकारी संगठनों का राज्य के विकास में सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय सलाहकार परिषद, "स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद" का गठन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से "स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद" में निम्न को भी सदस्य मनोनीत किया जाता है:-

1. माननीय अध्यक्ष, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र
2. माननीय उपाध्यक्ष, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र

आज्ञा से,



(नवीन जैन)

शासन सचिव, आयोजना

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव।
5. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रीगण।
6. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वीएसडीसी।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव, आयोजना